बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :– 11/ विविध – 02–08/2015.......................................दिनांक.....................

आदेश

तत्कालीन मुख्य अभियंता, डिहरी वर्त्तमान में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्राधीन डिहरी प्रमंडल, डिहरी अंतर्गत गोड़सरा वितरणी के पुनर्स्थापन एवं सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य की निविदा में श्यामा बिल्डकोन प्रा0 लि0, ग्राम – दुमदुमा, पो0 – करमहरी, जिला – कैमुर भी एक निविदादाता थे। उनके द्वारा निविदा के साथ संलग्न कार्यानुभव प्रमाण–पत्र जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, रामगढ़ के पत्रांक 564 दिनांक 19.08.15 से निर्गत है, का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, रामगढ़ द्वारा आपने पत्रांक 625 दिनांक 13.09.15 से प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कार्यानुभव प्रमाण पत्र सही नही है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, रामगढ़ द्वारा सही प्रमाण पत्र संलग्न किया गया जो कि संवेदक द्वारा संलग्न कार्यानुभव प्रमाण–पत्र से भिन्न है। इसके आधार पर दिनांक 10.11.2015 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में संवेदक श्यामा विल्डकॉन प्रा0लि0 के विरूद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

संवेदक के विरूद्ध उपर्युक्त आरोप के सन्दर्भ में विभागीय पत्रांक 5572 दिनांक 26.11.15 द्वारा उससे कारण पृच्छा किया गया तथा पत्रांक 1263 दिनांक 25.02.2016 से उन्हें स्मारित किया गया। दिनांक 20.05.2016 को संवेदक द्वारा कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। संवेदक के कारण–पृच्छा की समीक्षा की गई संवेदक द्वारा कारण पृच्छा मे कहा गया है कि उनके द्वारा निविदा मे संलग्न प्रमाण पत्र तथ सत्यापित प्रमाण–पत्र के तुलना में जो कुछ मामूली अंतर दिखता है, वह एक लिपिकीय भूल है। किसी कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मे हेर–फेर कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संवेदक द्वारा गलत मंशा के साथ फर्जी/जाली कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर निविदा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

संवेदक के इस कृत्य को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम – 11(क) (vii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए श्यामा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, ग्राम – दुमदुमा, पो0 – करमहरी, जिला – कैमुर के निबंधन संख्या – 54/2011 (द्वितीय श्रेणी) को दस वर्षो के लिए काली सूची डाला जाता है।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक.................................. दिनांक...

निबंधित/स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः– श्यामा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, निदेशक श्री विपिन राय, ग्राम – दुमदुमा, पो0 – करमहरी, जिला – कैमुर, पिन – 820119 को सूचनार्थ।

ह0/–

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक....4291.......... दिनांक....05-8-16.........

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग / लधु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / भवन निर्माण विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/नगर एवं विकास विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2/3/4, पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05.08.16

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

5/8/16